रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1974] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2012/आश्विन 11, 1934
No. 1974] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2012/ASVINA 11, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2356(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान (बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का प्रत्यायन) आदेश, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए हैं या करने का लोप किया गया है, बस बॉडी निर्माणकर्ताओं के प्रत्यायन की बाबत ऐसे प्रमाप और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है,अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का प्रत्यायन) आदेश, 2012 है ।

(2) यह 31 दिसंबर, 2012 को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.- इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रत्यायन" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा बस बॉडियों की विनिर्दिष्ट क्वालिटी का निरतंर रूप, से उत्पादन करने के लिए किसी बॉडी निर्माणकर्ता की सामर्थ्य और क्षमताओं के मूल्यांकन, निर्धारण और अनुमोदन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रत्यायन अभिकरण" से सीएमवीआर-टीएससी के पर्यवेक्षण के अधीन प्रत्यायन की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी, नियमों के नियम 126 के अधीन अधिसूचित कोई परीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्धारक" से विहित मानकों और प्रक्रिया के अनुसार बस बॉडी निर्माणकर्ताओं और बस की बॉडियों का निरीक्षण करने के लिए परीक्षण अभिकरण से कोई तकनीकी विशेषज्ञ अभिप्रेत है ;

(ङ) "बस बॉडी निर्माणकर्ता (बीबीबी)" से बसों या बस बॉडियों के विनिर्माण में लगी कोई फर्म अभिप्रेत है ;

(च) "शासी निकाय" से बस बॉडी निर्माणकर्ताओं की सुविधा के प्रत्यायन के कृत्यों को कार्यान्वित और मॉनीटर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय मोटर यान नियम - तकनीकी स्थायी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएमवीआर-टीएससी कहा गया है) अभिप्रेत है ;

(छ) "नियमों" से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 अभिप्रेत है ;

(ज) उन शब्दों का, जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं है किंतु या तो अधिनियम या नियमों में परिभाषित है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हों, वही अर्थ लगाया जाएगा जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या नियमों में है ;

3. लागू होना. - बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का प्रत्यायन तेरह या अधिक यात्रियों की बैठक क्षमता वाले एम 2 और एम 3 प्रकार के यानों और बस संहिता के अधीन समाविष्ट सभी प्रकार की बसों के बस विनिर्माताओं या बस बॉडी निर्माणकर्ताओं के क्रियाकलापों में लगे सभी सत्ताओं जैसे कंपनी, निजी व्यक्तियों को लागू होगा ।

4. बस बॉडी निर्माणकर्ता. - बस बॉडी निर्माणकर्ता नीचे दी गई सारणी में यथा उपदर्शित उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के आधार पर वर्गीकृत किए जाएंगे :

प्रवर्ग	किए जाने वाले क्रियाकलाप
क	या तो समग्र प्रकार की या उनके स्वयं द्वारा अनुमोदित डिजाइन और रेखाचित्रों पर आधारित कठोर चेसिस पर निर्मित बसों, पूर्णतः निर्मित बसों के विनिर्माता की क्षमता रखने वाले बस विनिर्माता ।
ख	अपने स्वयं के डिजाइन और रेखाचित्र के आधार पर या किसी तृतीय पक्ष का या ग्राहक द्वारा दिए गए रेखाचित्र और डिजाइन के आधार पर बस बॉडी गढ़ने की क्षमता रखने वाले बस बॉडी निर्माणकर्ता । इस प्रवर्ग के बस बॉडी निर्माणकर्ताओं के पास गढ़ने की क्षमता और तकनीकी सक्षमता होगी ।

5. उत्तरदायित्व. -

(1) परीक्षण अभिकरण बस बॉडी निर्माणकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर आधारित संपरीक्षा की योजना बनाने, उसको संचालित और नियंत्रित करने के और संपरीक्षा रिपोर्ट बनाने के और प्रत्यायन प्रमाणपत्र देने के उत्तरदायी होंगे ।

(2) संपूर्ण पर्यवेक्षण और विषय प्रत्यायन प्रणाली परीक्षण अभिकरणों का उत्तरदायित्व होगा ।

6. अपेक्षाएं .- पणधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और सुरक्षा और पर्यावरण के विवाद्य पर समझौता न करते हुए बस बॉडी निर्माणकर्ता अपेक्षाओं के भाव की संपूर्ण समझ के साथ अपने विनिर्माण सुविधा का संचालन करेंगे और प्रत्यायन के लिए आवेदन करेंगे तथा बस बॉडी निर्माणकर्ता और प्रत्यायन अभिकरण के बीच असहमति के किसी भी विवाद्यक का निराकरण सराहनीय तकनीकी साक्ष्य और न्यायोचित्य के आधार पर करेंगे ।

7. प्रत्यायन के लिए आवेदन.- प्रत्येक बस बॉडी निर्माणकर्ता किसी भी प्रत्यायन अभिकरण के समक्ष संबद्ध ब्यौरे देते हुए और अपेक्षाओं को न्यायोचित ठहराते हुए दिए गए **प्ररुप संख्या खखख : 01** में आवेदन करेगा ।

(i) निर्मित बसों के प्रकार का वर्णन : आवेदक डिजाइन की गई और निर्मित बसों के प्रकार के साथ ही साथ निर्मित बसों के प्रकार के ब्यौरे ग्राहक द्वारा दिए गए यथा उपयोज्य रेखाचित्र और डिजाइन के अनुसार ब्यौरे देंगे ।

(ii) विनिर्माण प्रक्रिया : प्रक्रिया क्वालिटी जांच और अंतिम क्वालिटी निरीक्षण में आवक निरीक्षण के लिए क्वालिटी जांच बिंदु वाली विस्तृत विनिर्माण प्रक्रिया दर्शाते हुए एक प्रवाह चार्ट दिया जाएगा । प्ररूपी प्रवाह चार्ट को निर्देश के लिए **चार्ट सं0 खखख : 06** के रूप में दर्शाया गया है ।

(iii) विनिर्माण सुविधा : विनिर्माण संयंत्र में.-

(क) बस बॉडी निर्माण करने के लिए कम से कम एक बस को रखने के लिए छतदार कार्यस्थल वाला कम से कम एक हजार वर्गमीटर क्षेत्र होगा ;

(ख) बस बॉडी का रंग-रोगन करने के लिए पर्याप्त छतदार स्थान और अनुरूप रंग-रोगन प्रणाली होगी ;

(ग) क्वालिटी बॉडी निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त और अनुरूप वैल्डिंग सुविधा होगी ;

(घ) संक्षारण के विरुद्ध संरक्षा के लिए पर्याप्त और अनुरूप जंगरोधी उपचार सुविधा होगी ; और

(ङ) रिसन की जांच पड़ताल के लिए पर्याप्त और अनुरूप जल फुहार सुविधा होगी ।

विनिर्माण सुविधा के ब्यौरे निम्नलिखित रूप विधान में प्रस्तुत किए जाएंगे

प्ररूप संख्या : खखख : 02

क्रम संख्या	सुविधा/उपस्कर/मशीन	प्रयोजन	न्यायोचित्य

(iv) क्वालिटी नियंत्रण : कच्चे माल की क्वालिटी, प्रक्रियाधीन क्वालिटी और अंतिम उत्पाद क्वालिटी पर नियंत्रण रखते हुए उत्पाद क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी प्रणाली की स्थापना की जाएगी । क्वालिटी जांचो को क्वालिटी दस्तावेज के साथ ही साथ प्रक्रियाधीन दस्तावेज में सुपरिभाषित किया जाएगा और साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए अभिलेखों को भलीभांति दस्तावेजों में रखा जाएगा और क्वालिटी नियंत्रण के लिए प्रयुक्त सभी उपस्करों या उपकरणों को अंशशोधित किया जाएगा ।

क्वालिटी नियंत्रण सुविधा के ब्यौरे निम्नलिखित रूप विधान में प्रस्तुत किए जाएंगे :

प्ररूप संख्या : खखख : 03

क्रम संख्या	उपस्कर	प्रयोजन	अंशशोधन प्रास्थिति	न्यायोचित्य

(v) तकनीकी सक्षमता : बस बॉडी निर्माण के ज्ञान और पर्याप्त अनुभव के साथ पर्याप्त और अनुरूप तकनीकी जनशक्ति होगी और जनशक्ति को नियमों में यथा अनुबद्ध सुरक्षा अपेक्षाओं की संपूर्ण जानकारी होगी । तकनीकी जनशक्ति रूपरेखा और विशेषज्ञता को भलीभांति लेखबद्ध किया जाएगा और उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से अद्यतन की गई जानकारी होनी चाहिए । तकनीकी जनशक्ति के ब्यौरे निम्नलिखित रूप विधान में रखे और दिए जा सकते है :

प्ररूप संख्या : खखख : 04

क्रम संख्या	जनशक्ति ब्यौरे	विशेषज्ञता का क्षेत्र	अनुभव	न्यायोचित्य

(vi) क्वालिटी प्रणाली प्रमाणीकरण के ब्यौरे.- विनिर्माण संयंत्र के, संपूर्ण क्वालिटी प्रणाली (टीक्यूएस) आईएसओ/आईएस 16949 या क्वालिटी प्रबंध प्रणाली (क्यूएमएस) आईएसओ 9001 और अन्य अनुपूरक क्वालिटी प्रणालियों जैसे पर्यावरण प्रबंध प्रणाली के प्रत्यायन रखे जाने की दशा में विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि क्वालिटी

निर्देशिका में सभी सुरक्षा और पर्यावरणीय विधायी अपेक्षाओं को समुचित स्थान दिया गया है और ऐसे क्वालिटी प्रणाली की क्वालिटी निर्देशिका की एक प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(vii) उत्पादन क्षमता और योजना.- प्रत्येक बस बॉडी निर्माणकर्ता प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता, उत्पादन खोज अभिलेख के साथ ही साथ भावी उत्पादन योजनाओं के ब्यौरे देगा ।

(viii) बस बॉडी प्रकार अनुमोदन : प्रत्येक बस बॉडी निर्माणकर्ता, अपने स्वयं के या अनुज्ञप्ति प्राप्त बस बॉडी के प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्रों के ब्यौरे देगा । यदि कोई प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हो तो भावी योजना भी प्रस्तुत की जा सकती है ।

8. प्रत्यायन प्रणाली कार्यान्वयन तंत्र और इसकी भूमिका.- प्रत्यायन अभिकरण, अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विषय प्रत्यायन प्रणाली को कार्यान्वित करने के उत्तरदायी होंगे । प्रत्यायन के प्रक्रिया प्रवाह चार्ट को **चार्ट संख्या खखख : 07** में उपदर्शित किया गया है ।

9. प्रत्यायन अभिकरणों के कृत्य.- प्रत्यायन अभिकरण, पदाभिहित व्यक्तियों के पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित कृत्य करेंगे, अर्थात् :-

(क) पदाभिहित प्रतिनिधि विशिष्ट प्रत्यायन अभिकरण के प्रत्यायन विभाग के प्रधान के रूप में कार्य करेगा ।

(ख) प्रधान, प्रत्यायन विभाग, प्रत्यायन संबंधी सभी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा ।

(ग) निर्धारणों की योजना बनाना ।

(घ) भावी बस बॉडी निर्माणकर्ताओं से प्रत्यायन के लिए आवेदन आमंत्रित करना और उन्हें स्वीकार करना ।

(ङ) आवेदनों की संवीक्षा करना और अतिरिक्त जानकारी, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करना ।

(च) संपरीक्षा करने के लिए निर्धारकों को नामनिर्दिष्ट करना ।

(छ) निर्धारण रिपोर्टों का संकलन करना ।

(ज) अंतिम प्रत्यायन प्रमाणपत्र तैयार करने और उसे जारी करने की कार्रवाई करना ।

(झ) सीएमवीआर-टीएससी के समक्ष सावधि प्रत्यायन प्रास्थिति रिपोर्ट रखना ।

3764 GI/12-2

IndiaCode

(ञ) अनुभव और प्रतिपुष्टि के आधार पर प्रत्यायन प्रणाली में सुधारों के सुझाव देना ।

(ट) कोई अन्य कार्य जो कार्यकलाप से संबंधित हो ।

10. प्रत्यायन प्रक्रिया.-

(I) आवेदन :

(क) प्रत्यायन प्राप्त करने का आशय रखने वाले बस बॉडी निर्माणकर्ता किसी भी प्रत्यायन अभिकरण के समक्ष विहित आवेदन प्ररूप (**प्ररूप संख्या खखख : 01**) में दो प्रतियों में आवेदन करेंगे ।

(ख) आवेदन के साथ ऐसी आवेदन फीस होगी जो सीएमवीआर-टीएससी द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए ।

(ग) प्रत्यायन के लिए आवेदन करते समय बस बॉडी निर्माणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें खंड 6 और खंड 7 के अनुसार अपेक्षित ब्यौरे दिए गए है ।

(घ) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन के साथ कानूनी और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की गई है ।

(II) आवेदन की अभिस्वीकृति, संवीक्षा और उस पर कार्यवाही :

(क) प्रत्यायन अभिकरण, संलग्नकों और अपेक्षित फीस आदि सहित आवेदन की प्राप्ति पर बस बॉडी निर्माणकर्ताओं को रसीद के साथ अभिस्वीकृति जारी करेगा जिसमें बस बॉडी निर्माणकर्ताओं को निर्देश और पत्र व्यवहार के लिए भविष्य में प्रयोग किए जाने के लिए अद्वितीय ग्राहक रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (सीआरआई) आबंटित करेगा ।

(ख) आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा जांच अभिकरण के प्रत्यायन विभाग द्वारा की जाएगी । अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हों, मांगा जा सकता है । यदि भारी कमियां हों तो बस बॉडी निर्माणकर्ताओं से अपेक्षाओं की अनुपालना के लिए कहा जाएगा और अनुपालना रिपोर्ट के साथ आवेदन को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ग) यदि आवेदन साधारणतः ठीक पाया जाता है तो उस पर निर्धारण के लिए विचार किया जाता है ।

(घ) तत्पश्चात् बस बॉडी निर्माणकर्ता से तद्नुसार निर्धारण फीस जमा करने के लिए कहा जाएगा ।

(III) निर्धारण :

(क) निर्धारण फीस की प्राप्ति पर प्रत्यायन अभिकरण निर्धारकों को नामनिर्दिष्ट करेगा और निर्धारण की अनुसूची की योजना बनाएगा ।

(ख) बस बॉडी निर्माणकर्ता को निर्धारण की अंतिम अनुसूची के बारे में सूचित किया जाएगा और निर्धारण दल के बारे में सूचना दी जाएगी ।

(ग) निर्धारण दल बस बॉडी निर्माणकर्ता की संपरीक्षा करेगा ।

(घ) एक बार निर्धारण पूरा हो जाता है तो निर्धारण दल, दल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई निर्धारण रिपोर्ट प्रधान, प्रत्यायन विभाग को प्रस्तुत करेगा । प्रधान, प्रत्यायन विभाग रिपोर्ट और निर्धारण दल की सिफारिशों का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्यायन प्रमाणपत्र देने के लिए अंतिम सिफारिश तैयार करेगा ।

(ङ) निर्धारण के दौरान पाई गई अननुरूपता बस बॉडी निर्माणकर्ता को सूचित की जाएगी । बस बॉडी निर्माणकर्ता निश्चित समय अनुसूची के भीतर जो छः मास से अधिक नहीं होगी, प्रस्तावित सुधार कार्य और सुधार के बारे में विनिश्चय करेगा । प्रत्यायन अभिकरण अननुरूपता के क्षेत्र में अनुपालना की प्रगति को मानीटर करेगा ।

(च) निर्धारण दल, बस बॉडी निर्माणकर्ता की लागत पर, सुधार कार्य की, सत्यापन दौरे सहित या रहित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति पर अननुरूपता को बंद कर देगा ।

(छ) आवेदन की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सूचना, निर्धारण रिपोर्ट, निर्धारण के दौरान प्राप्त अतिरिक्त सूचना और पश्चात्वर्ती सत्यापन, प्रत्यायन अभिकरण के प्रत्यायन विभाग के प्रधान की अंतिम सिफारिश के आधार पर प्ररूप **संख्या खखख : 05** में प्रत्यायन प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा और आवेदक को दिया जाएगा ।

(ज) प्रत्येक प्रमाणपत्र प्रधान, प्रत्यायन विभाग और जांच अभिकरण के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

11. निगरानी संपरीक्षा.-

(क) प्रत्यायन अभिकरण, बस बॉडी निर्माणकर्ता की, तीन वर्ष में एक बार निगरानी संपरीक्षा करेगा ।

(ख) निगरानी संपरीक्षा का उद्देश्य यह परीक्षा करना है कि क्या प्रत्यायित बस बॉडी निर्माणकर्ता, आवेदन में दावा या घोषित की गई सभी अपेक्षाओं को बनाए रख रहा है ।

(ग) प्रत्यायन अभिकरण प्रत्यायन निगरानी के बारे में प्रत्यायित बस बॉडी निर्माणकर्ता को सूचित करेगा और निगरानी दौरे की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व निगरानी फीस का अग्रिम संदाय किया जाएगा । बस बॉडी निर्माणकर्ता, प्रत्यायन अभिकरण से ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, उसकी तैयारी की पुष्टि करेगा ।

(घ) बस बॉडी निर्माणकर्ता उसकी तैयारी की पुष्टि करते समय प्रवर्ग में परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

(ङ) खंड 10 में ब्यौरेअनुसार प्रक्रिया का, निर्धारण, अनुमोदन और अनुपालना का प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए अनुसरण किया जाएगा । अनुपालना प्रमाणपत्र का रूप विधान प्ररूप संख्या खखख : 05 के अनुसार होगा ।

12. क्यूएमएस या टीक्यूएमएस प्रमाणित बस बॉडी निर्माणकर्ताओं की संपरीक्षा .- कुल क्वालिटी प्रणाली (टीक्यूएस) आईएसओ/आईएस 16949 या क्वालिटी प्रबंध प्रणाली (क्यूएमएस) आईएसओ 9001 के लिए विधिमान्य प्रमाणपत्र रखने वाले आवेदक या बस बॉडी निर्माणकर्ता, दस्तावेज संपरीक्षा पर, प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध कर सकेंगे । इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आवेदक को यह सुनिश्चित करना होता है कि नियमों के सभी उपबंध क्वालिटी निर्देशिका में समुचित रूप से रखे गए है और उनका क्वालिटी प्रणाली में क्रियान्वयन और अनुसरण किया गया है । प्रत्यायन अभिकरण दस्तावेजों और अभिलेखों का अध्ययन करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो दस्तावेज अंकन के आधार पर प्रत्यायन प्रमाणपत्र देगा ।

13. प्रत्यायन अभिकरण का बदलना.- बस बॉडी निर्माणकर्ता, नए अभिकरण के समक्ष आवेदन करते समय पूर्व अभिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करके, प्रत्यायन अभिकरण को बदल सकता है । आवेदक द्वारा निराक्षेप प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो जाने की दशा में नया प्रत्यायन अभिकरण पूर्व प्रत्यायन अभिकरण से लिखित अनुज्ञा मांग सकेगा ।

14. प्रत्यायन प्रमाणपत्र का जारी किया जाना और प्रत्यायन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता - प्रत्यायन संपरीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्रत्यायन अभिकरण आवेदक को प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी करेगा । प्रत्यायन प्रमाणपत्र **प्ररूप संख्या खखख : 05** में होगा परंतु बस बॉडी निर्माणकर्ता, प्रत्यायन प्रमाणपत्र, निगरानी संपरीक्षा के माध्यम से सफलतापूर्वक निरंतर अनुपालना के अध्यधीन, विधिमान्य होगा ।

15. प्रत्यायन की परिधि का विस्तार या उसका कम किया जाना - बस बॉडी निर्माणकर्ता यदि ऐसा चाहता है तो प्रत्यायन के प्रवर्ग में प्रवर्ग 'अ' से प्रवर्ग 'आ' या इसके विपर्ययेन परिवर्तन के लिए प्रत्यायन अभिकरण से लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा । इस प्रयोजन के लिए प्रत्यायन अभिकरण निगरानी संपरीक्षा के दौरान बस बॉडी निर्माणकर्ता का निर्धारण करेगा या अनुपूरक संपरीक्षा या विशेष दौरा आयोजित कर सकेगा और निष्कर्षों के आधार पर प्रत्यायन की परिधि का विस्तार या उसको कम किए जाने की सीएमवीआर-टीएससी को और सिफारिश

प्ररूप सं. : खखख : 01

बस बॉडी निर्माणकर्ताओं के प्रत्ययन के लिए आवेदन

(आवेदक बस बॉडी निर्माणकर्ता द्वारा भरे जाने के लिए)

1.0	बस बॉडी निर्माणकर्ता का नाम और पता दूरभाष सं. फैक्स सं. ई-मेल आईडी	
2.0	कारखाने का पता दूरभाष सं. फैक्स सं. ई-मेल आईडी	
3.0	संपर्क व्यक्ति का नाम और दूरभाष सं.	
4.0	क्या स्वत्वधारी/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कंपनी है	
5.0	कारखाना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ब्यौरे और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
6.0	प्रतिष्ठापित विनिर्माण क्षमता और उत्पादन योजना	
7.0	भूमि, भवन, छत सहित और छत रहित क्षेत्र के ब्यौरे	
8.0	तकनीकी सक्षमता	
8.1	तकनीकी सक्षमता सिद्ध करने के लिए जनशक्ति के ब्यौरे (निर्देश प्ररूप सं. : खखख : 04)	
9.0	विनिर्माण सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए विनिर्माण मशीनरी और उपस्कर के ब्यौरे (निर्देश प्ररूप सं. : खखख : 02)	
10.0	उत्पाद की क्वालिटी सिद्ध करने के लिए निरीक्षण/जांच उपस्करों/उपकरणों के ब्यौरे (निर्देश प्ररूप सं. : खखख : 03)	
11.0	क्या आप कुल क्वालिटी प्रणाली (टीक्यूएस) आईएसओ/आईएस 16949 या क्वालिटी प्रबंध प्रणाली	

3764 GI/12-3

प्ररूप सं. : खखख : 05

जांच अभिकरण का शीर्षनामा और लोगो

प्रत्यायन/अनुपालन का प्रमाणपत्र

प्रत्यायन/अनुपालन प्रमाणपत्र सं. तारीख :

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. का.आ. 425 (अ) तारीख 23 मार्च, 2007 द्वारा प्रत्यायन अभिकरण को प्रदत्त शक्तियों के परिणामस्वरूप मार्गदर्शन अधिसूचना की अपेक्षानुसार बस बॉडियों का निर्माण करने वाले विनिर्माताओं के सामर्थ्य का निर्धारण करने के लिए कार्यस्थल की निरीक्षण संपरीक्षा की गई है । निष्कर्षों, विषय के आधार पर बस बाडी निर्माणकर्ता प्रत्यायन का प्रमाणपत्र दिया गया है :

1.0	बस बॉडी निर्माणकर्ता का नाम	
2.0	पता, दूरभाष सं, फैक्स नं., ई-मेल आई डी	
3.0	संयंत्र अवस्थान, दूरभाष और फैक्स नं.	
4.0	संपर्क व्यक्ति, पदनाम और संपर्क ब्यौरे	
5.0	पत्र/ आवेदन सं. और तारीख	
7.0	निर्धारण तारीख	
8.0	संक्षिप्त संपरीक्षा सार रिपोर्ट	
9.0	प्रत्यायन/बस बॉडी निर्माणकर्ता के रूप में निरंतर अनुपालन के लिए अनुमोदन	
10.0	जारी करने की तारीख	
11.0	निरंतर अनुपालन (पर्यवेक्षण) की देय तारीख	

प्रधान-प्रत्यायन
जांच अभिकरण

निदेशक या प्रधान
जांच अभिकरण

IndiaCode

चार्ट सं. : खखख :06

प्रारूपिक निर्देश प्रवाह चार्ट

कच्चा माल (जैसे पेंट. वार्निश, विशिष्ट रसायन, टयूब, चादर, एंगल, प्लाईवुड, कांच, फर्श सामग्री, आभ्यंतर दीप, केबल रबड़ / बहुलक सामग्री आदि)

बी ओ एफ चेसिस	चेसिस का समजन (धुरी, ईंजन, पावर ट्रेन, चौखटा)

बस बॉडी गढ़ना (फर्श, छत, पार्श्व, अगाड़ी और पिछाड़ी संरचना, व्हील हाउसिंग पर संरचना)

उप समंजन, समंजन, बी ओ एफ मदें (जैसे पीठिका, खिड़की चौखटें, दरवाजें, दीए, एफ आर पी मदें)

फर्शबंदी और दिल्लाबंदी (फर्श बंदी, पार्श्व दिल्लाबंदी, छत क्रिया, आभ्यंतर दिल्लाबंदी, केबलिंग/वातानुकूलन)

रंग-रोगन (सफाई और विस्नेहक, संक्षारण रोधी उपचार, रंग-रोगन, सोख्यता)

समंजन (पीठिका, खिड़की, दरवाजें, दीप फिटिंग, कांच, वाईपर, दीप और प्रदीप संकेतन युक्तियां)

अंतिम निरीक्षण रिसन परीक्षण, मार्ग परीक्षण

परीक्षण	प्रतीक
फिक्सचर और टेमलेट	Ø
सतह उपचार प्रक्रिया, जो लागू हों	Θ
निवेश सामग्री निरीक्षण	◊
आयामी जांच	≈
दृश्य निरीक्षण	©
संपादन जांच	*
सीएमवीआर सुरक्षा अनुपालन जांच	Π

IndiaCode

चार्ट सं. : खखख :07

प्रत्यायन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

बस बॉडी निर्माणकर्ता द्वारा प्रत्यायन के लिए आवेदन

प्रत्यायन अभिकरण द्वारा आवेदन की अभिस्वीकृति और संवीक्षा

निर्धारकों का नामनिदेशन और निर्धारण की योजना

निर्धारण दल द्वारा बस बॉडी निर्माणकर्ता का निर्धारण

निर्धारण रिपोर्ट की प्रस्तुति (निर्धारण दल द्वारा)

निर्धारण रिपोर्ट की संवीक्षा

प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायन प्रमाणपत्र का अंतिम निर्गम

प्रत्यायन अभिकरण और बस बॉडी निर्माणकर्ता के बीच पारस्परिक संपर्क ।

IndiaCode

[फा. सं. आरटी-11028/8/2007-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2012

S.O. 2356(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59of 1988) and in supersession of the Central Motor Vehicles (Accreditation of Bus Body Builders) Order, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order to specify such norms and proces in respect of the accreditation of Bus Body Builders, namely:-

1. (1) This Order may be called the Central Motor Vehicles (Accreditation of Bus Body Builders) Order, 2012.

(2) It shall come into force on the 31st day of December, 2012.

2. Definitions. - In this order, unless the context otherwise requires,-

(a) "Accreditation" means the process of evaluating, assessing and approving the capabilities and capacities of a Bus Body Builder to consistently produce specified quality of bus bodies by the competent authority;

(b) "Accreditation agency" means a testing agency notified under rule 126 of the rules responsible for implementation of the process of accreditation under the supervision of CMVR-TSC;

(c) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(d) "Assessor" means a technical expert from the testing agency to carry out the inspection of Bus Body Builders and bus bodies as per the prescribed norms, standards and procedures;

(e) "Bus Body Builder (BBB)" means a firm engaged in the manufacturing of buses or bus bodies;

(f) "Governing Body" means the Central Motor Vehicles Rules – Technical Standing Committee constituted by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, to implement and monitor the function of accreditation of Bus Body Builder's facility (hereinafter referred to as CMVR-TSC);

(g) "Rules" means the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

(h) the terms not specifically defined in this order, but defined either in the Act or in the Rules shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning as defined in the Act or the Rules, as the case may be.

3764 GI/12–4

3. Application.- Accreditation of Bus Body Builders shall be applicable to all entities like companies, individuals engaged in the activities of bus manufacturing or bus body building of M2 and M3 type of vehicles having seating capacity of thirteen or more passengers and all types buses covered under bus code.

4. Bus Body Builders - Bus Body Builders shall be categorised on the basis of the activities undertaken by them as indicated in the Table given below:

Category	Activities undertaken
A	Bus Manufacturer having capability to manufacture fully built buses either of integral type or buses built on rigid chassis, based on their own type approved designs and drawings.
B	Bus Body Builder having capability to fabricate the bus bodies as per their own designs and drawings or as per the drawings and designs supplied by any third party or customer. Bus Body Builder of this category shall have fabrication capability and technical competence.

IndiaCode

5. Responsibility.-

(1) Testing agencies shall be responsible to plan, conduct and control the audit based on the request submitted by the Bus Body Builder and to generate the audit report and to release the accreditation certificate.

(2) Overall supervision and control of subject accreditation system shall be the responsibility of the testing agencies.

6. Requirements.- Without prejudice to the stakeholders and no compromise on the issue of road safety and environment the Bus Body Builder with complete understanding of the spirit of the requirements shall organise his manufacturing facility and apply for the accreditation and any issue of disagreement between Bus Body Builder and Accreditation agency shall be resolved on the basis of meritorious technical evidence and justification.

7. Application for accreditation.- Every Bus Body Builder shall make an application in the given **Form No BBB:01** to any Accreditation agency, furnishing the pertinent details and justifying the requirements.

(i) Description of types of buses built: Applicant shall furnish the details of types of buses designed and built as well as types of buses built as per the drawings and design supplied by the customer as applicable.

(ii) Manufacturing process: A flow chart showing a broad manufacturing process having quality check points for inward inspection, in process quality check, and final quality inspection shall be provided. Typical flowchart is shown for reference as **Chart No BBB:06**.

(iii) Manufacturing facility: Manufacturing plant shall have.-

(a) at least one thousand square meter area having covered work place to accommodate at least one bus to carry out bus body building;

(b) adequate covered place and commensurate painting system to carry out bus body painting;

(c) adequate and commensurate welding facility to carry out quality body building work;

(d) adequate and commensurate antirust treatment facility for protection against corrosion; and

(e) adequate and commensurate water shower facility to check leakages.

Details of manufacturing facility shall be submitted in the following format

Form No: BBB:02

Sl. No	Facility/equipment/machine	Purpose	Justification

(iv) Quality control: There shall be established quality system to ensure the product quality by having control on raw material quality, in-process quality and final product quality. Quality checks shall be well defined in quality document as well as in process document and well documented records of quality checks to demonstrate as evidence and all equipments or instruments used for quality control shall be calibrated.

Details of quality control facility shall be submitted in the following format:

Form No :BBB:03

Sl. No	Equipment	Purpose	Calibration Status	Justification

(v) Technical competence: There shall be adequate and commensurate technical manpower having knowledge and adequate experience of bus body building and manpower having complete knowledge of safety requirements as stipulated in the Rules. Technical manpower profile and expertise shall be well documented and must have knowledge updated through training from time to time. Details of technical manpower can be maintained and furnished in following format:

Form No:BBB:04

Sl. No	Manpower details	Area of expertise	Experience	Justification

(vi) Details of Quality System Certification: In case manufacturing plant has accreditation of Total Quality System (TQS) ISO/IS 16949 or Quality Management System (QMS) ISO 9001 and other supplementary quality systems like Environmental Management System (EMS) ISO 14001, the manufacturer, shall ensure that all safety and environmental legislative requirements are properly addressed in the quality manual and a copy of quality manual of such quality system shall be submitted along with the application.

(vii) Production capability and plan: Every Bus body builder shall furnish the details of installed production capacity, production track record as well as future production plans.

(viii) Bus Body type approval: Every Bus Body Builder shall furnish the details of its own or licensed type approval certificates of bus bodies. In case, there is no type approval certificate available, then future plan can be submitted.

8. Accreditation system implementation mechanism and its role.- Accreditation agencies shall be responsible to implement subject Accreditation system by following the laid down procedure. The process flow chart of accreditation is indicated in **Chart No BBB:07**

9 Functions of the Accreditation agencies.- Accreditation agencies under the supervision of designated person shall carry out following functions, namely:-

(a) Designated representative shall function as Head-Accreditation Dept of particular Accreditation Agency.
(b) Head, Accreditation Dept shall supervise and control all the accreditation related activities.
(c) Planning of assessments
(d) To invite and accept applications for accreditation from prospective Bus Body Builders.
(e) To scrutinise applications and obtain additional information, if required.
(f) To nominate assessors to carry out audit.
(g) To compile assessment reports.
(h) To take the action of preparing and issue the final Accreditation Certificate.
(i) To put up periodically the Accreditation Status Report to CMVR-TSC.
(j) To suggest the improvements in the accreditation system based on the experience and feedback.
(k) Any other function as may be related to the activity.

10 Accreditation procedure.-

(I) Application:

(a) The Bus Body Builder intending to get the accreditation shall apply to any Accreditation agency in the prescribed application form (**Form No. BBB: 01)** in duplicate.

(b) The application shall be accompanied with such application fee as may be decided from time to time by the CMVR-TSC.

(c) While applying for accreditation, the Bus Body Builder shall ensure that all the details required as per clause 6 and clause 7 are included.

(d) Applicant shall ensure that the copies of the statutory and other required documents are enclosed with the application.

(II) Acknowledgement, scrutiny and processing of Application:

(a) Accreditation Agency, on receipt of the application along with its enclosures and the requisite fees, etc. shall issue an acknowledgement along with receipt to Bus Body Builder allotting unique Customer Registration Number (CRN) to Bus Body Builder, to be used in future for reference and correspondence.

(b) The preliminary scrutiny of the application shall be done by accreditation department of testing agency. Additional information or clarification, if necessary can be sought. If there are gross shortcomings, the Bus Body Builder shall be asked to comply with the requirements and shall resubmit the application with Compliance Report.

(c) If the application is found to be generally in order, the same is considered for the assessment.

(d) The Bus Body Builder shall be asked to remit the assessment fee accordingly thereafter.

(III) Assessment:

(a) On receipt of assessment fee, Accreditation Agency will nominate assessors and plan the schedule of assessment.

(b) The Bus Body Builder shall be informed about the final schedule of assessment and the information about Assessment Team.

(c) The Assessment Team will carry out the audit of the Bus Body Builder.

(d) Once the assessment is completed, the Assessment Team shall submit the Assessment Report, jointly prepared by the team to the Head, Accreditation Department. Head, Accreditation Department shall review the report and recommendations of the assessment team and prepare final recommendation for release of accreditation certificate.

(e) Non-conformance found during assessment shall be informed to Bus Body Builder. The Bus Body Builder shall decide about the proposed corrective action and correction within a definite time schedule which shall not be more than six months. Accreditation agency shall monitor the progress of compliance with areas of non-conformity.

(f) Assessment Team shall close nonconformities on submission of documentary evidence of corrective action with or without verification visits at the Bus Body Builder's cost.

(g) Based on the information gathered during the processing of the application, the assessment report, additional information gathered during assessment and the subsequent verifications, the final recommendation of Head, Accreditation Department of Accreditation Agency, Accreditation Certificate shall be prepared in **Form No BBB:05** and released to the applicant.

(h) Each certificate shall be signed by the Head, Accreditation Department and the Director of the Testing Agency.

3764 GI/12-5

IndiaCode

11. Surveillance Audit.-

(a) Accreditation agency shall conduct surveillance audit once in three years of each accredited Bus Body Builder.

(b) Surveillance audit is aimed at examining whether the accredited Bus Body Builder is maintaining all the requirements claimed or declared in the Application.

(c) Accreditation agency shall inform the accredited Bus Body Builder about the surveillance assessment and the surveillance fee to be paid in advance, at least three months before the due date for surveillance visit and the Bus Body Builder shall confirm its readiness within thirty days from the date of receipt of such intimation from the Accreditation agency.

(d) The Bus Body Builder may request for change in category while confirming its readiness.

(e) Same procedure as detailed in clause 10 shall be followed to carry out the assessment, approval and release of certificate of compliance. Format of the compliance certificate shall be as per Form No BBB:05.

12. Audit of QMS or TQMS Certified Bus Body Builder.- The applicant or Bus Body Builder holding valid certificate for Total Quality System (TQS) ISO/IS 16949 or Quality Management System (QMS) ISO 9001 may request for issue of accreditation certificate on document audit. To avail this facility, the applicant has to ensure that all the provisions of the rules are properly addressed in the Quality Manual and implemented and followed in the quality system. Accreditation agency shall study the documents and records and, if satisfied, release the Accreditation Certification on the basis of document appraisal.

13. Change of accreditation agency.- The Bus Body Builder can change the Accreditation agency by obtaining no objection certificate from the earlier agency while applying to the new agency. In case the applicant is unable to obtain the no objection certificate, the new Accreditation agency may approach the previous Accreditation agency to seek written permission.

14. Issuance of accreditation certificate and validity of accreditation certificate.- After successful completion of the accreditation audit, the Accreditation agency shall issue a certificate of accreditation to the applicant. The Accreditation Certificate shall be in Form No. BBB:05: provided that the Bus Body Builder accreditation certificate shall be valid subject to successful continued compliance through surveillance audit.

15. Extension or reduction of scope of accreditation.- A Bus Body Builder, if it so desires, may request in writing to the Accreditation agency for change in the category of accreditation from category 'A' to category 'B' or vice versa. For this purpose, the Accreditation agency shall assess the Bus Body Builder during surveillance audit or may organise a supplementary audit or a special visit and, based on the findings further recommendation for extension or reduction of scope of accreditation shall be made to CMVR-TSC. Based on the approval, the Accreditation agency shall communicate to the Bus Body Builder through certificate of extension of accreditation.

16. Supplementary or special visit.- The Accreditation agency may conduct a supplementary or a special visit at any time during the validity of accreditation in the following circumstances, namely:-

(a) change in category; or

(b) misuse of accreditation certificate; or

(c) on receipt of a complaint, for the verification of facts; or

(d) in any other circumstances as may be decided by the Accreditation agency.

17. Voluntary withdrawal.- The Bus Body Builder, at any time during the validity of accreditation, may discontinue its accreditation voluntarily by making a written request to the Accreditation agency. If the Bus Body Builder subsequently decides to obtain accreditation status, it shall be treated as a fresh accreditation, and the Bus Body Builder shall have to pay the fee for applications, and expenses on assessment as applicable at the time of submission of fresh application.

18. Appeal.- The Bus Body Builder may appeal against any decision of the Accreditation agency refusing to grant or continue accreditation or any matter relating thereto to the Chairman, CMVR-TSC whose decision shall be final and binding on all parties.

19. Confidentiality.- Accreditation agency officials shall be required to maintain strict confidentiality of the information gathered regarding the Bus Body Builders during the process of evaluation for grant of accreditation.

20. Liability.- Accreditation agency shall not be responsible for any damages, which the Bus Body Builder may suffer as a result of refusal to grant or subsequent withdrawal of accreditation or time taken in communication of decision or any circumstances beyond the control of the Accreditation agency.

21. Amendment to the policies and procedures.- The CMVR-TSC may at any time make recommendation regarding the policies and procedures related to grant of accreditation, maintaining accreditation, and conducting surveillance audit.

22. Fees for Assessment of Bus Body Builders.- Accreditation agencies shall, in mutual consultation, propose a uniform fee structure which shall be considered and decided by CMVR-TSC and such fee structure may be revised from time to time with the prior approval of the CMVR-TSC.

Form No : BBB:01

APPLICATION FOR ACCREDITATION OF BUS BODY BUILDERS

(To be filled by applicant Bus Body Builder)

1.0	Name & Address of the Bus Body Builder Telephone No. Fax No. Email id	
2.0	Factory Address Telephone No. Fax No. Email id	
3.0	Contact person name (s) and Phone Number (s)	
4.0	Whether Proprietorship/Partnership/Private Limited/Public Limited Co.	
5.0	Factory Registration Certificate details and date of registration	
6.0	Installed manufacturing capacity and production plan	
7.0	Details of land, building, covered and uncovered area	
8.0	Technical Competence	
8.1	Details of manpower (reference Form No BBB:04) to establish technical competence.	
9.0	Details manufacturing machinery and equipment. (reference Form No BBB:02) to establish manufacturing capability	
10.0	Details of Inspection / Test Equipments / Instruments (reference Form No BBB03) to establish quality of the product	
11.0	Are you certified under Total Quality System (TQS) ISO/IS 16949/ Quality Management System (QMS) ISO 9001. If yes, furnish a copy of the certificate and the quality manual.	
12.0	Details of type approval of the Bus Body design along with a copy of the certificate.	
13.0	Type of buses/bus bodies built	

Note: This format is a guide line format. The applicant shall attach details of each requirement separately to this application to make the application more informative.

Authorised signatory
(on behalf of the company)
Name :
Designation :
Date :

Form No : BBB:05

TESTING AGENCY LETTERHEAD AND LOGO

CERTIFICATE OF ACCREDITATION/ COMPLIANCE

Accreditation/Compliance Certificate No. XXXXXX Date:

Consequent to the power conferred on Accreditation Agency vide order No S.O. 425 (E) dated 23rd March, 2007 of the Ministry of Road Transport & Highways, Government of India, onsite inspection audit has been carried out to assess the capability of the manufacturer to build bus bodies as per the requirements of the guiding Notification. Based on the findings, subject Certificate of Accreditation of Bus Body Builder has been released.

1.0	Name of the Bus Body Builder	
2.0	Address, Telephone number; Fax number & E-mail id.	
3.0	Plant Location Telephone & Fax No.	
4.0	Contact Person, Designation & Contact Details	
5.0	Letter/Application No. & Date	
7.0	Assessment Date	
8.0	Brief Audit summary Report	
9.0	Approval for Accreditation/ Continued Compliance as Bus Body Builder	
10.0	Date of Issue	
11.0	Continued Compliance (Surveillance) due date	

HEAD – ACCREDITION
TESTING AGENCY.

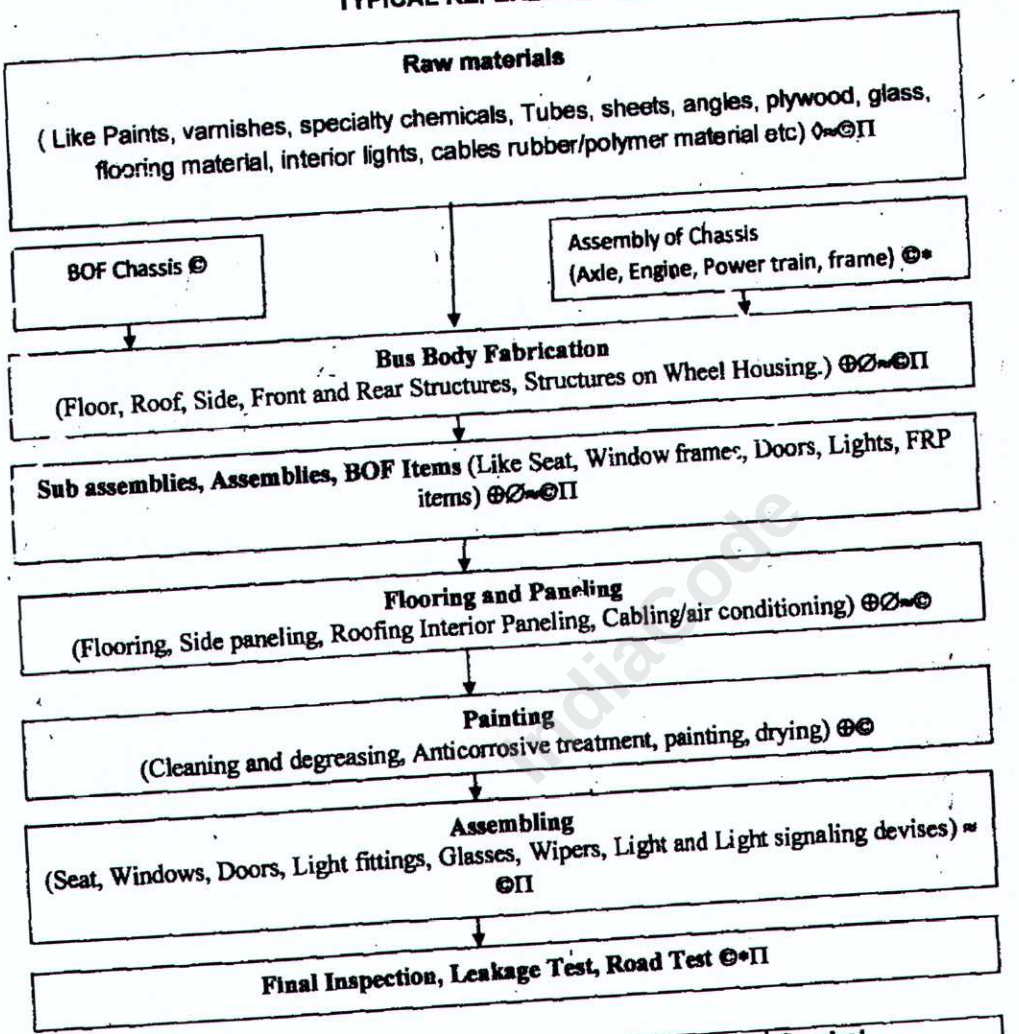
DIRECTOR OR HEAD
TESTING AGENCY

3764 GI/12-6

IndiaCode

Chart No : BBB:06

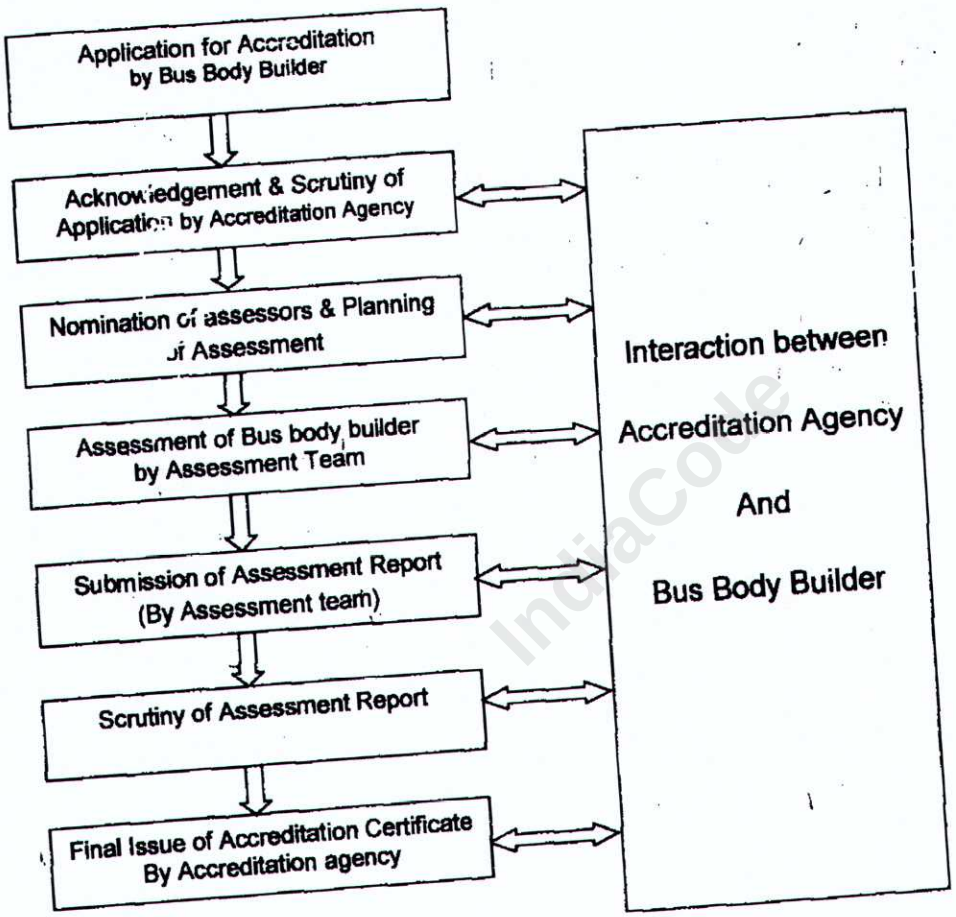
TYPICAL REFERENCE FLOW CHART



Checks	Symbol
Fixtures and Templates	Ø
Surface Treatment Process as applicable	⊕
Input material inspection	◊
Dimensional check	≈
Visual Inspection	©
Performance check up	•
CMVR safety compliance check	Π

Chart No : BBB:07

ACCREDITATION PROCESS FLOW CHART



[F. No. RT-11028/8/2007-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.